संचिका सं०–6 एस०एस०(6)29/2022– 2254/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूपसे परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–.....22/05...... /2025.

विषय– **''जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 2201.448 लाख (बाईस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त ''जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना'' हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 2201.448 लाख (बाईस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III(क), III(ख), IV एवं V के रूप में संलग्न।

2. नदी के धारा को नियंत्रित करने हेतु बाँध/बराज जैसे ढ़ाँचागत निर्माण से नदी के ऊपरी जलमग्न (डूब) क्षेत्र में जलाशय का निर्माण होता है। जलाशय का निर्माण मुख्यतः सिंचाई, पन–बिजली का उत्पादन, पेय जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए होता है। यह निर्मित जलाशय मत्स्य एवं मात्स्यिकी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जलाशय जैव विविधताओं का शरण स्थली है जिसमें मछलियाँ प्राकृतिक रूप से प्रजनन भी करती है। अधिकांश जलाशय राज्य के दक्षिणी बिहार के जिलों में अवस्थित हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अधिसूचना संख्या–म०/यो०–08/2016–3328 दिनांक–08.10.2022 द्वारा राज्य के जलाशयों के समग्र मात्स्यिकी विकास हेतु ''बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022'' अधिसूचित किया गया है ताकि जलाशय मात्स्यिकी का वैज्ञानिक प्रबंधन के द्वारा समुचित विकास हो सके। इस नीति के तहत मात्स्यिकी अधिकार प्राप्त कुल 47 (रकवा–56578 हे0) जलाशयों में, निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में बंदोवस्ती उपरांत बंदोवस्त जलाशयों के पट्टेदार (व्यक्तिगत/सदस्यों की समूह/समूहों) के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

देश में जलाशयों का औसत मत्स्य उत्पादकता 20 कि०ग्रा०/हे०/वर्ष है। वहीं बिहार के जलाशय (लघु एवं मध्यम) का औसत मत्स्य उत्पादकता 5 कि०ग्रा०/हे०/वर्ष से नीचे है जो देश में न्यूनतम है। जलाशय के मूल उद्देश्य को प्रभावित किये बिना इसके पारिस्थिकीय स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए पृथक ''विकास मॉडल'' के तहत तकनीकी समावेशन एवं वैज्ञानिक प्रबंधन से इसके मात्स्यिकी उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार के आत्म–निर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) के निश्चय–4 (स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव) के बिन्दू पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास के अन्तर्गत निर्दिष्ट ''आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा'' संकल्प के तहत इस योजना को लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इसी परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी इस प्रस्तावित ''जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना'' को ''चालू योजना'' के रूप में स्वीकृति का प्रस्ताव है। यह मत्स्य प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका सीधा असर मत्स्य उत्पादन या उत्पादकता पर पड़ता है इसलिए इसे आगे के वर्षो में भी चालू रखना आवश्यक होगा।

3. जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जलाशयों में "संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण" एवं "केज आधारित मत्स्य पालन तकनीक" के द्वारा जलाशय के मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाना है।

4. प्रस्तावित जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना से निम्नलिखित लाभ होने का अनुमान है–
   (क) राज्य की जलाशयों की मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी।
   (ख) जलाशय मात्स्यिकी विकास में निवेश की संभावना बढ़ेगी जिससे निवेश आधारित केज मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
   (ग) क्रीड़ा–मत्स्यन, बोटिंग एवं मत्स्याखेट से जलाशयों में मत्स्य पर्यटन का मार्ग खुलेगा।
   (घ) इससे रोजगार के साथ–साथ आमदनी में अभिवृद्धि होगी।
   (ड़) जलाशय मात्स्यिकी विकास में निजी/उद्यमी के सहयोग से तकनीकी समावेशन कर जलाशय की उत्पादकता, उत्पादन एवं उपयोगिता को बढ़ाया जा सकेगा।

5. प्रस्तावित जलाशय मात्स्यिकी विकास की योजना दक्षिणी बिहार के जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ जलाशय अवस्थित है। इसमें बाँका, नवादा, जमुई, सासाराम, मुंगेर, कैमूर, लखीसराय आदि प्रमुख जिला हैं जहाँ पर जलाशय मौजूद है। इन जिलों में अवस्थित जलाशयों में योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत अच्छादित है।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 2201.448 लाख (बाईस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) व्यय की राशि आकलित है। योजना के तहत 1082 केज अधिष्ठापित कर मत्स्य पालन तथा 6118 हे० में 61.18 लाख मत्स्य अंगुलिका का संचयन की जाएगी।

7. प्रस्तावित योजना के निम्न अवयव होंगे :–
   (क) मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण मात्स्यिकी।
   (ख) केज आधारित मत्स्य पालन तकनीक।

(क) मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य–प्रग्रहण मात्स्यिकी :–

(i). इसके तहत जलाशय में बड़े आकार (100 मि०मी० से बड़ा) के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन (1000 हजार/हे० FRL पर) किया जाएगा, जिससे सम्पूर्ण जलाशय की मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हो सके। मूल एवं अनुसंशित मत्स्य प्रजाति (IMC) का ही मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन योजनान्तर्गत किया जायेगा (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III (ख) संलग्न)।

(ii). इस योजना के तहत प्रति हेक्टयर 0.06 लाख राशि इकाई लागत निर्धारित है जिस पर पर सभी वर्गो के लाभुकों को 60 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में देय है। शेष तथा इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय होने पर, अतिरिक्त राशि का वहन लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण/स्वयं के माध्यम से किया जाएगा।

(iii). इस योजना के तहत् कुल 6118 हे० जलक्षेत्र में 61.18 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं (IMC) का संचयन किया जायेगा जिस पर सब्सिडी के रूप में ₹ 220.248 लाख राशि व्यय होने का अनुमान है। साथ ही योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर 610 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1220 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो सकेगा।

(ख) केज आधारित मत्स्य पालनः–

(i). केज आधारित मत्स्य पालन खुली जलस्रोत की मत्स्य उत्पदकता एवं उत्पादन बढ़ाने का एक अनुशंसित मत्स्य तकनीक है। केज या पिंजरा एक जाल का घेरा होता है जो ढ़ांचानुमा फ्रेम पर फ्लॉट, सिंकर, ऐंकर, जाल आदि से निर्मित होता है। केज समान्यतया चारो तरफ से फ्रेम पर जाल से घिरा होता है जिसका उपरी भाग खुला होता है। इसी घेरा में मत्स्य अंगुलिकाओं का सघन संचयन कर मत्स्य पालन की जाती है। यह विभिन्न आकार–प्रकार का होता है जिसे जलाशय में ऐंकर के द्वारा स्थिरता प्रदान की जाती है। केज का अधिष्ठापन इस प्रकार किया जाता है जिससे केज का नीचे का सतह जलाशय के तलछत से 3–4 फीट उपर बना रहे।

(ii). जलाशय में ''केज''अधिष्ठापन हेतु न्यूनतम 7–8 मीटर पानी की गहराई की आवश्यकता है। इस प्रकार के गहराई वाले स्थानों को जलाशयों में पहचान कर केज (6 मी० X 4 मी० X 4 मी० अथवा 100 घन मीटर) का अधिष्ठापन करने की योजना है।

(iii). योजनान्तर्गत केज के अधिष्ठापन में आकार की बाध्यता को समाप्त कर आयतन आधारित (Volume Based) गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार आदि आकार का केज अधिष्ठापित किया जा सकेगा। परन्तु इकाई लागत की गणना आयतन आधारित 100 घन मीटर पर (मो० 3000/घन मीटर) मो० ₹ 3.00 लाख प्रति केज (इनपुट सहित) ही होगी।

(iv). निर्धारित इकाई लागत में ही एक Floating Store house तथा On Shore room का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

(v). केज अधिष्ठापन से संबंधित उक्त प्रावधान पी०एम०एम०एस०वाई० के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधित क्रियान्वयन दिशा–निर्देश (Operational Guideline) के अनुरूप है। इस संबंध में मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक–527 दिनांक–30.04.2024 को संदर्भ में लिया जाना समीचीन होगा।

(vi). एक यूनिट केज के अधिष्ठापन पर इनपुट सहित ₹3.00 लाख का व्यय (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III(क) संलग्न) आकलित की गई है जिसपर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए क्रमशः 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में देय होगा। शेष तथा इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरक्त राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण/स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।

(vii). इस योजना के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए क्रमशः 1026, 50 एवं 6 अर्थात कुल 1082 केज के अधिष्ठापन तथा अधिष्ठापित केज में मत्स्य पालन किये जाने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है जिसपर क्रमशः ₹ 1846.80 लाख, ₹ 120.00 लाख एवं ₹ 14.40 लाख अर्थात कुल ₹ 1981.20 लाख राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में व्यय होन का अनुमान है।

(viii). इस योजना के सफल क्रियान्वयन होने पर 3200 टन मछली का अतिरिक्त उत्पादन तथा न्यूनतम 60 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 300 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो सकेगा।

8. केज हेतु जलाशय में स्थल का चयन–

(i). जलाशय में केज अधिष्ठापन हेतु गहरे जल–स्तम्भ (water column) की आवश्यकता होती है। इसके लिए चयनित स्थल पर 07–08 मीटर पानी की गहराई अपेक्षित होगा। साथ ही जलाशय में पानी आवक/निर्गमन मार्ग से दूर केज का अधिष्ठापन इसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है। उक्त के आलोक में यथा संभव जलाशय के curve, notch एवं nose वाले हिस्से में केज का अधिष्ठापन किया जा सकेगा।

(ii). स्थल का चुनाव करते समय उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त आवागमन, पहुँच–पथ एवं किनारे से नाव के द्वारा केज स्थल तक सुगमपूर्वक पहुँच एवं जलाशय में जल–स्तर के उतार–चढ़ाव आदि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

(iii). इस योजना के तहत सम्बन्धित जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा जलाशयवार केज अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुसार स्थल का चयन करते हुए संधारित किया जाएगा।

(iv). केज हेतु उपयुक्त (Suitable) जलाशय में केज का अधिष्ठापन अधिकतम 1–2% जलक्षेत्र प्रति जलाशय तक सीमित रहेगा।

9. लाभार्थी का चयन–

(i). लाभुकों से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii). जलाशय का बंदोबस्तधारी, व्यक्तिगत रूप से/समूह (ग्रुप लीडर)/समूहों (ग्रुप लीडर) में इसके आवेदक होंगे। समूह के निर्माण में स्थानीय मत्स्यजीवियों/मछुओं/व्यक्यिों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii). समूह में केज–विशेष हेतु आवेदन किया जा सकेगा। समूह में आवेदन जलाशय के बंदोबस्तधारी के माध्यम से ग्रुप लीडर द्वारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्तिगत/समेूह के द्वारा केज अधिष्ठापन में पत्रांक–म०यो०–21/2023–2834, दिनांक–26.12.2024 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश को दृष्टिपथ में रखकर जिला मत्स्य पदाधिकारी अधिक से अधिक केज समूह का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iv). व्यक्तिगत लाभुक को केज के लिए अधिकतम 18 केज अथवा 1800 घन मीटर केज तथा समूह में 06 केज अथवा 600 घन मीटर केज प्रति सदस्य की दर से अधिकतम 72 केज अथवा 7200 घन मीटर केज अधिष्ठापन की अनुमान्यता होगी।

(v). यदि कोई लाभुक यथा–व्यक्तिगत/समूह में पूर्व के वर्षो में सदृश केन्द्र योजना अथवा राज्य योजना अथवा दोनों योजनाओं के तहत केज के अधिष्ठापन तथा अधिष्ठापित केज में मत्स्य पालन किये जाने से सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त किये हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित लाभुक (यथा–व्यक्तिगत/समूह में) को अधिकतम अनुदान की लाभ उपयुक्त कंडिका 8(iv) के वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत ही सीमित रहेगी।

(vi). केज अधिष्ठापन हेतु केज समूह का गठन जलाशय बंदोबस्तधारी के द्वारा किया जाएगा। समूह के गठन में इच्छुक मत्स्य पालक जो समान विचारधारा के हो (यथा सम्भव) को शामिल किया जाएगा परन्तु योजनान्तर्गत लाभ अधिकतम सीमा तक ही सीमित रहेगा।

10. योजनान्तर्गत सब्सिडी–

(i). जलाशय मात्स्यिकी विकास के दोनो प्रकल्पों को क्रियान्वित किया जाना है।

(ii). योजनान्तर्गत संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण पर सभी वर्गो के लाभुको को इकाई लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी देय है। शेष तथा इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरक्त राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण/स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii). इस योजनान्तर्गत केज अधिष्ठापन योजना में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए क्रमशः 60 प्रतिशत, 80 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत सब्सिडी देय होगा। शेष तथा इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरक्त राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण/स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv). जलाशय में अनुशंसित मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन योजना के उपरांत लाभार्थी द्वारा संचयन से संबंधित फोटाग्राफ, प्रमाणक/अभिश्रव कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात् सब्सिडी समिति के अनुमोदनोपरांत देय सब्सिडी का भुगतान एक मुश्त में विधिवत लाभार्थी के बैंक खाता में किया जाएगा।

(v). केज अधिष्ठापन योजना में दो किस्तों में सब्सिडी भुगतान की जाएगी। पहला किस्त, केज (केज स्टोर सहित) के निर्माण के पश्चात कुल देय सब्सिडी का 60 प्रतिशत

तथा दूसरा किस्त, केज में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के पश्चात शेष 40 प्रतिशत राशि दी जाएगी। सब्सिडी का भुगतान केज के निर्माण एवं इनपुट व्यय से संबंधित दावा पत्र के साथ फोटाग्राफ, प्रमाणक/अभिश्रव कार्यालय में समर्पित करने के पश्चात् उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरांत देय सब्सिडी का भुगतान विधिवत लाभार्थी के बैंक खाता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

11. अन्य क्रियान्वयन अनुदेश :–

(i). योजनान्तर्गत जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन एवं केज अधिष्ठापन से संबंधित पक्का बोर्ड, लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4X3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिसपर पेंट से विवरणी अंकित होगा ।

(ii). बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा–

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना अवयव का नाम एवं वर्ष–
योजना अवयव का नाम –
लाभूक का नाम एवं पता–
प्राक्वलित/लागत राशि–
सब्सिडी की राशि–
अंगुलिका संचयन हेतु आच्छादित जलक्षेत्र –
केज समूह की संख्या–
कुल सदस्य की संख्या –
कुल केज की संख्या–

(iii). उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर के अध्यक्षता में गठित समिति जलाशयों का चिन्हिकरण, मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, केज अधिष्ठापन का आकलन, लाभार्थियों का चयन, सब्सिडी राशि का भुगतान हेतु अनुशंसा आदि जलाशयों के विकास सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। केज एवं केज हाउस आदि निर्माण में आवश्यकतानुसार जलाशय नीति के तहत कार्यपालक अभियंता के अध्यक्षता में गठित समिति से समन्वय कर योजना का कार्यान्वयन करेंगे ताकि निर्माण संबंधी स्थानीय बाधाओं को दूर किया जा सके। कमिटी में सदस्य निम्नवत होगें :–

1. उप मत्स्य निदेशक, (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर –**अध्यक्ष**
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सदस्य सचिव
3. सहायक मत्स्य निदेशक (जलाशय) –सदस्य
4. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी –सदस्य

5. कनीय अभियंता —सदस्य
6. मत्स्य विकास पदाधिकारी —सदस्य।

12. बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति—2022 (पत्रांक—म० / यो०—08 / 2016—3328, दिनांक—08.10.2022) एवं संबद्ध दिशा—निदेश (ज्ञापांक—म0 / यो0—13 / 2022—183 दिनांक—25.01.2023) में निहित प्रावधान के तहत जलाशय डिविजन की स्थापना मुंगेर में की गई है। जलाशय डिविजन हेतु नये पदों के सृजन एवं स्वीकृति के प्रत्याशा में तत्काल मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र को जलाशय डिविजन मुंगेर हेतु प्राधिकृत किया गया। इसी बीच जलाशय डिविजन, मुंगेर हेतु उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर सहित कुल—14 नये पद की स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई है तथा अधिसूचित है। उक्त वर्णित स्थिति में जलाशयों से सबंधित वार्षिक सुरक्षित जमा का निधारण, बंदोबस्ती, जलाशय से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षणतथा अन्य सभी विकासात्मक कार्यो की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यक संशोधन प्रस्तवित है जिसका विस्तृत विवरणी अनुलग्नक—IV के रूप में संलग्न है।
13. केज का निर्माण एवं अधिष्ठापन एक तकनीकी विधा है जिसे लाभार्थी के द्वारा अपने स्तर से निर्माण एवं अधिष्ठापन करने में कठिनाई के मद्देनजर लाभार्थी के द्वारा स्वेच्छा से केज का अधिष्ठापन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद (केन्द्र सरकार) अथवा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सूचिबद्ध (Empanelled) किसी एजेन्सी से प्राथमिकता के तहत की जा सकेगी।
14. इस योजनान्तर्गत जिलावार, अवयववार, श्रेणीवार, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक—V के रूप में संलग्न है। जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि में कतिपय कारणों से कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में अन्य जिलों के द्वारा भौतिक लक्ष्य की मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यकतानुसार अंतर—जिला लक्ष्य का स्थानान्तरण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन व्यय योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रहेगा।
15. इस योजनान्तर्गत दोनों अवयवों यथा—(क) मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण मात्स्यिकी एवं (ख) केज आधारित मत्स्य पालन तकनीक पर अनुदान स्वरूप कुल ₹ 2201.448 लाख (बाईस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) राशि व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक—I एवं II)।
16. सभी अवयवों की इकाई लागत तकनीकी समिति से अनुमोदित है। योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई होने पर निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक दिशा—निर्देश / अनुदेश निर्गत कर सकेंगे।
17. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित) होंगे तथा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री होंगे।

18. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि आवश्यकतानुसार बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित करव्यय किया जा सकेगा।

19. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

20. बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता– इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, (i) लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 के विषय शीर्ष–0117.13.01 –कार्यालय व्यय मद एवं विषय शीर्ष–0117.33.01 –सब्सिडी मद, (ii) लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405007890102 के विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद तथा (iii) लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0110 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405007960110 के 0110.33.01–सब्सिडी तथा (iv) लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104 के तहत विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

21. दिनांक–08.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस योजना को चालू योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)29/2022 के पृष्ठ 117–116/प०.

22. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)29/2022 के पृष्ठ–50/टि०, दिनांक–16.05.2025.

23. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)29/2022 के पृष्ठ संख्या–49/टि० डायरी क्रमांक–229, दिनांक–15.05.2025.

24. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

21/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254 /पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254/पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254 /पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/सभी कनीय अभियंता/सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254 /पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254 /पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2022 – 2254 /पटना–15, दिनांक–22/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष–00, के तहत अनुदानित दर पर **"जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना" पर** होने वाले सम्भावित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	अवयव का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (हे0 / सं0)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जलाशय में मत्स्य अंगुलिका संचयन (हे0 में) इकाई लागत 0.06 लाख / हे0 ***सामान्य (सात निश्चय) कुल अंगुलिका संचयन –6118 हे0***	लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय –2, विपत्र कोड 02–2405001010117	0117.33.01 सब्सिडी	6118	220.248	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	संबंधित कोषागार, बिहार
2	जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं0) इकाई लागत 3.00 लाख / केज) ***सामान्य (सात निश्चय) –कुल केज–720***		0117.33.01 सब्सिडी	720	1296.000		
3	जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं0) इकाई लागत 3.00 लाख / केज) ***अनु0जाति–कुल केज–50***	लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 0102 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02–2405007890102	0102.33.01 सब्सिडी	50	120.00		
4	जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं0) इकाई लागत 3.00 लाख / केज) ***अनु0जनजाति– कुल केज–6***	लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0110 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405007960110	0110.33.01 सब्सिडी	6	14.40		
5	जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं0) इकाई लागत 3.00 लाख / केज) ***सामान्य (राज्य योजना)–कुल केज–306***	लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0104 –तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02–2405001010104	0104.33.01 सब्सिडी	306	550.80		
			कुल :–		**2201.448**		

2254
22/05/25

(बाईस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना" का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र०	जलाशय संचयन (हे0 मे) इकाई लागत 0.06 लाख/हे०			जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं०) इकाई लागत 3.00 लाख/केज)												कुल सब्सिडी राशि (4+16)
				सामान्य वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			कुल			
	लाभुक (सब्सिडी 60 प्रतिशत)			लाभुक (सब्सिडी 60 प्रतिशत)			लाभुक (सब्सिडी 80 प्रतिशत)									
	रकवा	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	संख्या	राशि	सब्सिडी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6118.00	367.080	220.248	1026	3078.00	1846.800	50	150.00	120.000	6	18.00	14.400	1082.000	3246.000	1981.200	**2201.448**

2254
22/05/25

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–III (क)

जलाशय में केज का अधिष्ठापन

(Installation of Cages in Reservoirs)

(1 Battery- 4 Cages) 1 cage - 6mX4mX4m

Expenditure details

S. no.	Items	Quantities	Unit Cost	Total Cost
A)	**Non-recurring (Cost of Cage Fabrication and Installation) Expenditure**			
1.	**Frame of Floating Cage:** Made of Modular HMW HDPE Cover Plate type Docks joint together with Nylon Nuts and Bolts. • Shape& Size: Rectangular and size is 6m x 4m x 4m. • Structure : Frame with high load bearing capacity of 350kg/m2 , made from Floating Docks having Cover Plate 15mm thickness. The plate is fixed with SS Nut bolt. Dimension: 500mm × 500mm × 400mm (L x W x H)having interlocking male female curved sides for additional safety throughinterlocking. • Lug thickness 22mm. • Weight of each Cube: min. 7 kg to 8.5Kg. • Colour : Combination of Blue & Orange. • Material : High Molecular Weight (HMW) HDPE Modular Docks fitted with non-metallic/nylon Nuts & Bolts. • Walking Surface is provided with Chequered Finish for Anti -Skid property. • The cage frame is provided with undercover grooves setting up of ropes for tying the fish nets etc. • Must have provision of Handrails and Cage Net Loops for easy Installation • The frame is provided with the provision of altering the size in the multiples of0.5meter. • The frame or its corners are free from welding of any type. • The Battery of Cages is provided with an integrated design as per layout enclosed. • Walk way: 0.50 m wide along the sides. • Walk way: 100 cm in the middle line.	Battery of 4 cages	3,00,000.00	3,00,000.00
2.	**Hand Rails:** The Cage Frame is fitted with 1'GI Hand Rails of 1m height and lined with dual layer of PP ropes of 20mm diameter to enhance the safety of the User and it also serves as an additional support while walking. The Hand Rail posts are to be fitted at every 2m. The Handrails have suitable arrangement to be fixed on the center pin and it will be ensured that the hand rails do not become loose over the period of time.	Around every cage and outer perimeter of cage battery	Inclusive	Inclusive
3.	**ANCHORING PROVISION:** Weights of 50 kilos provided for suspension on diagonally opposite sides of Framewith 20 mm Diameter PP Rope. We shall put the anchoring as per siterequirements and the weight may go up beyond the said figure.	As per site requirement	25,000.00	25,000.00
4.	**CAGE GROW OUT NET:** **Size:** 6Mtr. x 4 Mtr. **Depth :**4.0 Mtr **Bottom:** Closed Flat. **Material:** HDPE Knotless Black 250D/27ply/30mm full mesh, UV Stabilized. Cage Net Top is provided with lined with 10 mm PP Rope with 8 loops of 10 mmThickness &1.5 inch Diameter at 8 places at equal distance. Same 8 places are lined from top to bottom with 10 mm PP Rope and connection at bottom middle. Bottom is flat closed with same webbing. Fitted with feed screen of 0.5mwidth at the top.	03	20,000	60,000.00
	FINGERLING NET: **Material:** HDPE Knotless Black 90D/12ply/12mm full mesh, UV Stabilized. Cage Net Top is provided with lined with 10 mm PP Rope with 8 loops of 10 mmThickness &1.5 inch Diameter at 8 places at equal distance. Same 8 places are lined from top to bottom with 10 mm PP Rope and connection at bottom middle. Bottom is flat closed with same webbing. Fitted with feed screen of 0.5mwidth at the top. **Size:** 6Mtr. x 4 Mtr. **Depth :**4.0 Mtr **Bottom:** Closed Flat.	01	25,000.00	25,000.00
5.	**BIRD PROTECTION NET:** **Shape :** Rectangular **Size:**6Mtr. X4 Mtr. **Material Specification:** HDPE Twine 280D/8ply/50mmkk full mesh, UV Stabilized. The net is lined with 12mm along the periphery. The net is provided with necessary loops to ensure proper tying on the four corners.	04	1250	5,000.00

6.	**CAGE OUTER PREDATOR NET:** **Shape :**Rectangular **Size :** as per layout. (To wrap all around the battery of 10 cages) **Depth :**3 Mtr **Bottom :** Closed Flat **Material Specification:** HDPE Twine 280D/18ply/50mm full mesh, UV Stabilized.	01	44,000.00	44,000.00
7.	**Life Jackets** Good quality life jacket for fishermen & visitors shall be provided. SIZE CHEST :- 30" - 56" chest LENGTH:- 26" CAPACITY:- UP TO 100-120 KG Made as per SOLAS/IRS/MMD standard FABRIC:-florescent orange colorcoated FOAM:- soft polyethylene foam BUCKLE WITH REFLECTIVE TAPE:- Fitted with three buckle with adjustable belt Whistle attached with a lynyard Reflective tape 4nos. CERTIFICATE:-ISO & CE	04	2,000.00	8,000.00
8.	**Wooden Boat** Length: 18', Breadth: 5', Height: 1.5', Takhti: 1' (base), Other Takthti- ¾' (Wood Material: 30% Sal Wood and 70% Jamun aprox)	01	84,000.00	84,000.00
9.	**Miscellaneous expenditure**	L.S.		15,000.00
			Sub Total	**5,66,000.00**
B.)	**Recurring Expenditure (Input)**			
1	Seed Cost @ 24,000 seed/ batterywhere seed price is @Rs 6/ piece			1,44,000.00
2	Feed Cost @ 16Ton/ batterywhere feed price is @ Rs 30/kg			4,80,000.00
	Miscellaneous expenditure			10,000.00
			Sub Total	6,34,000.00
			Grand Total(A+B)	12,00,000.00

Note – The above-mentioned items, specifications and their cost are indicativeonly for the purpose of subsidy calculation. The actual items and their expenditures may vary within the estimated cost.

2254
22/05/25

21/5/25
सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–III(ख)

जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन

1.	(मत्स्य अंगुलिका का आकार–10 से०मी०से ऊपर) (संचयन दर @1000 अंगुलिका / हे०) (दर– ₹ 6 प्रति अंगुलिका)	इकाई लागत–0.06 लाख / हे०

नोट :– मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत केज हेतु 3.00 लाख प्रति केज (आयतन आधारित केज सहित) इकाई लागत निर्धारित है एवं राज्य तकनीकी समिति से अनुमोदित है। उपर्युक्त व्यय विवरणी सांकेतिक हैं। अवयवों में स्थानीय सामग्रीयों की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित राशि (3.00 लाख / केज) के अन्तर्गत परिवर्तन हो सकता है।

2254
22/05/25

21/5/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–IV

जलाशय डिविजन, मुंगेर से संबंधित संशोधित आदेश

बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति–2022 (पत्रांक–म0/यो0–08/2016–3328, दिनांक–08.10.2022) एवं संबद्ध दिशा–निदेश (ज्ञापांक–म0/यो0–13/2022–183 दिनांक–25.01.2023) में निहित प्रावधान के तहत जलाशय डिविजन की स्थापना मुंगेर में की गई है। जलाशय डिविजन हेतु नये पदों के सृजन एवं स्वीकृति के प्रत्याशा में तत्काल मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के उप मत्स्य निदेशक को जलाशय डिविजन मुंगेर हेतु प्राधिकृत किया गया। इस बीच जलाशय डिविजन, मुंगेर हेतुउप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर सहित कुल–14 नये पद के सृजन मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अधिसूचित है। उक्त वर्णित स्थिति में जलाशयों से सबंधित वार्षिक सुरक्षित जमा का निधारण, बंदोबस्ती, जलाशय से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षणतथा अन्य सभी विकासात्मक कार्यो की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत है–

(i). जलाशयों का वार्षिक सुरक्षित जमा का निधारण, जलाशयों का बंदोबस्ती, जलाशय मात्स्यिकी विकास एवं प्रबंधन हेतु गठित समन्वय समिति आदि में उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर को शक्ति प्रत्यायोजित किया जाता है। इसके साथ ही, उप मत्स्य निदेश परिक्षेत्र की जलाशय संबंधी सम्पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति अब जलाशय डिविजन के उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर में निहित होगी।

(ii). उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर अपनी स्थापना के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। साथ ही वे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होगे।

(iii). साथ ही, जलाशय से सम्बन्धित मात्स्यिकी विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, लाभार्थियों का चयन, सब्सिडी राशि का भुगतानहेतु अनुशंसा आदि कार्यो के सुलभ निष्पादन हेतुगठित समिति का उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर अध्यक्षहोंगे।

(iv). जलाशय मात्स्यिकी नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा–निदेश में वर्णित उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र को उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(v). उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर की नियमित पदस्थापन अथवा अतिरिक्त–प्रभार/प्रतिनियुक्ति में सारी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति प्रदत्त होगी।

(vi). उप मत्स्य निदेशक (जलाशय), जलाशय डिविजन, मुंगेर राज्य मे स्थित सभी जलाशयों (जिसमें मात्स्यिकी अधिकार मत्स्य प्रभाग को प्राप्त है) की मात्स्यिकी विकास, बंदोबस्ती, राजस्व वसूली, स्वीकृत जलाशय की योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षणतथा अन्य सभी विकासात्मक कार्यो हेतु जवाबदेह होंगे। दक्षिण बिहार के जलाशय जिलों–में समन्वय समिति की ससमय बैठक, मत्स्य निदेशालय/विभाग की बैठक में भाग लेना, विकासात्मक कार्यों का अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रबोधन एवं प्रतिवेदन तैयार करना आदि की जिम्मेवारी होगी।

(vii). मत्स्य निदेशालय/राज्य सरकार के अनुमति से समय–समय पर इनके एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों के दायित्त्वों/कर्त्तव्यों का निर्धारण/परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2254
27/01/25

21/1/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–V

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना" के तहत संबंधित जिलों को अवयववार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	जिला का नाम	जलाशय संचयन (हे0 में) इकाई लागत 0.06 लाख/हे०			जलाशय में केज का अधिष्ठापन (सं0) इकाई लागत 3.00 लाख/केज)									कुल अनुदान राशि (5+8+11+14)
					सामान्य वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			
		लाभुक (अनुदान 60 प्रतिशत)			लाभुक (अनुदान 60 प्रतिशत)			लाभुक (अनुदान 80 प्रतिशत)						
		रकवा	राशि	अनुदान	संख्या	राशि	अनुदान	संख्या	राशि	अनुदान	संख्या	राशि	अनुदान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बाँका	3718	223.080	133.848	486	1458.00	874.800	25	75.00	60.000	3	9.00	7.200	1075.84800
2	नवादा	350	21.000	12.600	36	108.00	64.800	0	0.00	0.000	0	0.00	0.000	77.40000
3	जमुई	1600	96.000	57.600	468	1404.00	842.400	25	75.00	60.000	3	9.00	7.200	967.20000
4	रोहतास	350	21.000	12.600	36	108.00	64.800	0	0.00	0.000	0	0.00	0.000	77.40000
5	मुंगेर	100	6.000	3.600	0	0.00	0.000	0	0.00	0.000	0	0.00	0.000	3.60000
कुल		**6118**	**367.080**	**220.248**	**1026**	**3078.00**	**1846.800**	**50**	**150.00**	**120.000**	**6**	**18.00**	**14.400**	**2201.44800**

2254
22/05/25

21/5/25

सरकार के अपर सचिव